2012/00050

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 12/2012 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

कन्हैयालाल पुत्र मोडूलाल जाति धोबी साकिन मण्डाना

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1. श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने बाबत

निर्णय दिनांक : 03.10.2019

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी कन्हैयालाल पुत्र मोडूलाल जाति धोबी साकिन मण्डाना को ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित आराजी गत खसरा नं0 1401 रकबा 1 बीधा हाल खसरा नम्बर 1241/1747 रकबा 0.16 हैक्टयर दिनांक 18.05.1981 को आवंटित की गई थी। अप्रार्थी राजस्व रेकार्ड में बहैसियत गैर खातेदार दर्ज है। आवंटी को भूमि आवंटन एंव कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष में शेष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त कर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करनी चाहिऐ थी, किन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर नियमित कब्जा काश्त नहीं की एंव सम्वत् 2065–2068 में भूमि पडत रही। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से आवंटन निरस्त योग्य है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक उपस्थित हुए । अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विशेष आपत्तियो मे तथ्य अंकित किये है कि अप्रार्थी आवंटन के उपरान्त से ही भूमि पर कब्जा प्राप्त कर काश्त करना प्रारम्भ कर दिया था तथा वर्तमान मे भी भूमि पर अप्रार्थी का ही कब्जा है । नामा0 सं0 467 से भूमि दिनांक 30.11.75 को अप्रार्थी की गैर खातेदारी मे दर्ज करा दी गई थी तथा प्रार्थी उक्त भूमि को अपने खाते मे दर्ज कराने का अधिकारी है । अप्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा भूमिहीन कृषक है उक्त भूमि के अलावा प्रार्थी के खाते मे अन्य कोई कृषि आराजीयात नही है तथा उक्त आराजी ही प्रार्थी के परिवार के भरण पोषण का एक मात्र जरिया है । प्रार्थी को उक्त आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की अनुसंशा से राजस्थान कृषि प्रयोजन भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत भूमि आवंटित हुई थी तथा आवंटी प्रत्येक वर्ष भूमि का लगान अदा कर रहा है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की अनुपालना के अनुसार निर्धारित समय मे भूमि कृषिमय कर दी

थी तथा भूमि आवंटन के पश्चात आज तक कभी शिकमी काश्त पर नही दी तथा लगातार स्वंय काश्त कर रहा है । वर्तमान मे भी आवंटी द्वारा फसल बोई थी । आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आज तक कोई पक्का निर्माण नही करवाया है । आवंटन होने के पश्चात आवंटी को भूमि पर दखलनामा दिया था तब से आज तक आवंटी भूमि पर काबिज है । अतः आवंटी के विरूद्व कार्यवाही 14 (11) ड्रोप किया जावे तथा आवंटन को 10 वर्ष से अधिक हो चुके है इस कारण से आवंटी को गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान करने का निवेदन किया गया ।

3. प्रकरण में अप्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई । वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अप्रार्थी आवंटन के उपरान्त से ही भूमि पर कब्जा प्राप्त कर काश्त करना प्रारम्भ कर दिया था तथा वर्तमान मे भी भूमि पर अप्रार्थी का ही कब्जा है । नामा0 सं0 467 से भूमि दिनांक 30.11.75 को अप्रार्थी की गैर खातेदारी मे दर्ज करा दी गई थी तथा प्रार्थी उक्त भूमि को अपने खाते मे दर्ज कराने का अधिकारी है । अप्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा भूमिहीन कृषक है उक्त भूमि के अलावा प्रार्थी के खाते मे अन्य कोई कृषि आराजीयात नही है तथा उक्त आराजी ही प्रार्थी के परिवार के भरण पोषण का एक मात्र जरिया है । प्रार्थी को उक्त आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की अनुसंशा से राजस्थान कृषि प्रयोजन भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत भूमि आवंटित हुई थी तथा आवंटी प्रत्येक वर्ष भूमि का लगान अदा कर रहा है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की अनुपालना के अनुसार निर्धारित समय में भूमि कृषिमय कर दी थी तथा भूमि आवंटन के पश्चात आज तक कभी शिकमी काश्त पर नही दी तथा लगातार स्वंय काश्त कर रहा है । वर्तमान मे भी आवंटी द्वारा फसल बोई थी । आवंटन के 30 वर्ष पश्चात आवंटन खारिज करने का उक्त प्रार्थना पत्र मेनटेनेबल नही होने से खारिज योग्य होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्कत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया गया । वकील अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे आरआरटी 2007 (2) पेज 1240–1244 व पेज 1434–1437 की नजीर पेश की गई ।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया व वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया । अप्रार्थी को आवंटन 18.05.1981 को हुआ । आवंटित को भूमि आवंटन एंव कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष में शेष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त कर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करनी चाहिऐ थी, किन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर नियमित कब्जा काश्त नहीं की एंव सम्वत् 2065–2068 में भूमि पडत रही। अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे सिद्व हो सके कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई थी । उनके द्वारा खसरा गिरदावरी संम्वत् 2069–2072 पेश की है । जिससे आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना किया जाना साबित नही होता है । विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त खातेदारी भूमि से संबंधित होने से इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है ।

5. अतः राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन अनुसार स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को वाके ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1241/1747 रकबा 0.16, हैक्टयर का आवंटन आदेश दिनांक 18.05.1981 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार लाडपुरा उक्त भूमि राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज करे।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज़ दिनांक 03.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर